संक्षिप्त

रैली का आयोजन

पावटा । को जयपुर में आयोजित होने वाली अहीर रेजिमेंट ध्यान आकर्षण सभा को लेकर यादव समाज को जाठात और एकजुट करने के लिए रैली का आयोजन किया गया। 2 मार्च को जयपुर में होने वाली अहीर रेजिमेंट ध्यान आकर्षण सभा को लेकर अलवर, बानसूर, कोटपुतली , कांसली, पाथरेड़ी, फतेहपुरा , रघुनाथपुरा, पावटा कस्बे के प्रमुख मार्गो से होकर जन जागृति रैली निकाली गई। इस दौरान इस दौरान वक्ताओं ने समाज बंधुओं से अधिक से अधिक संख्या में अहीर रेजिमेंट ध्यान आकर्षण सभा में जयपुर पहुंचने का आवाह्न किया। इस दौरान कैप्टन मुकेश कुमार यादव जयपुर, कैप्टन पूरणमल, घीसाराम, दिनेश यादव, देवेंद्र, यादव समाज अध्यक्ष कोटपूतली रामावतार, रामकरण, किशन लाल गुरुजी, बाबूलाल, लक्ष्मी नारायण, सरदारमल यादव, मालीराम बाडीगर, रामेश्वर भाटिया न सहित समाज के लोग मौजूद रहे व रैली का स्वागत किया।

9 आरोपी गिरफ्तार

बौंली-बामनवास । सवाई माधोपुर जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बौंली थाना पुलिस ने विभिन्न मामलों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बौंली थाना प्रभारी राधारमन गुप्ता ने बताया कि ठाम गादोता, पुनेता रोड पर अवैध शराब के 48 पवों के साथ हरिमोहन मीणा निवासी पुनेता को, खिरनी कस्बे से अवैध बजरी खनन व परिवहन करने के मामले में वांछित चल रहे आरोपी दीपक मीणा निवासी बहनोली व शंकर लाल गुर्जर निवासी डिडवाड़ी को, ऑनलाइन साइबर ठगी के प्रकरण में मेघराज मीणा निवासी रतनपुर थाना मित्रपुरा को, स्थाई वारंटी हरिराम मीणा निवासी देवली, लक्ष्मी चंद्र मीणा निवासी कोडियाई व लीला देवी मीणा निवासी कोडियाई को, एवं शराब के नशे में धूत होकर अशांति फैलाने के मामले में राजू लाल मीणा निवासी चांदा की झोपड़ी व देवराज गुर्जर निवासी बौंली को गिरफ्तार किया गया है।

भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी

निवाई। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में शहीद हुए 40 वीर जवानों को युवाओं द्वारा अहिंसा सर्किल पर मोमबत्ती जलाकर एवं पुष्प अर्पित करके भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान युवाओं ने भारत माता के जय घोष लगाए। इस अवसर पर छोटूलाल मीणा, विशाल जमात, चंद्रशेखर वर्मा, अनुराग चौधरी, कार्तिक पारीक, लक्ष्य शर्मा, राहुल शर्मा, महेंद्र वैष्णव, लाला सैनी, अभिषेक पारीक व शुभम चौधरी सहित कई युवा मौजूद थे।

फ्लैग मार्च किया

राजगढ़ । कस्बे में अपराधों की रोकथाम को लेकर थाना प्रभारी राजेश मीणा के नेतृत्व में शनिवार को प्रमुख बाजारों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। थाना प्रभारी के राजेश मीणा ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर शांति भंग करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने लोगों को नियमों के बारे में भी जानकारी दी। मीणा ने बताया कि विश्वास के मध्य कस्बे में अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर धारा सिंह, सहित पुलिस के सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे।

बालिका छात्रावास खोलने की मांग

कोटपूतली। युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव भीम पटेल ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को पत्र भेजकर कोटपूतली में इसी बजट सत्र में राजकीय बालिका छात्रावास खोले जाने की मांग की है। पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा कोटपूतली-बहरोड़ को जिला यथावत् रखा गया है।

खोया-पाया

मेरे प्लाट नंबर 115/15, अग्रवाल फार्म मानसरोवर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जयपुर का मूल कब्जा पत्र और आवंटन पत्र कहीं गुम हो गये है मिलने पर सूचित करें। 8290011077

सुनिल कुमार सैनी के नाम का SBI Credit Card Collection के लिए जारी किया गया ID card N. 1169908 मालवीय नगर में 25.01.2025 को कहीं गिर गया। मिलने पर सूचित करें- 8905751110

जयपुर विकास प्राधिकरण की विधानसभा सचिवालय समूह आवास योजना (विस्तार), धाउवास, जयपुर के मेरे भू-खण्ड संख्या 113 का कब्जा-पत्र खो गया है। कृपया मिलने पर सूचित करें। दुर्गादास मूलचन्दानी (9414340200)

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

पालिकाध्यक्ष इसरानी ने पार्षदों के साथ किया अवलोकन

निवाई। राजस्थान में अपनी विशेष एवं विशिष्ठ पहचान रखने वाले निवाई के शिवाजी पार्क का नगरपालिका द्वारा करोडों रूपए की लागत से सोंदर्यकरण किया जा रहा है। जिसमें सबसें ऊंचे स्थान पर भव्य 30 मीटर का तिरंगा लगेगा जो मुख्य आकर्षण का केन्द्र होगा।

- शिवाजी पार्क में लगेगा विशाल तिरंगा
- बच्चों के झूलें, संगीत के साथ फव्वारें, जिम एवं खेल के लगेंगे उपकरण सेल्फी-पोइंट पर ले सकेंगे सेल्फी

निवाई के शिवाजी पार्क में हो रहे विकास कार्यो का अवलोकन करते हुए पालिका अध्यक्ष इसरानी व पार्षद।

शिवाजी पार्क की दहलीज पर कदम रखते ही प्राकृतिक पौधों की सोंधी खुशबू एवं पुष्पों की महक लोगों के दिल में समा जाएगी। नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी द्वारा पिछलें कई वर्षों से अपने अस्तित्व को खोते सुविख्यात शिवाजी पार्क को फिर एक बार चमन कर राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन पर्यटक स्थल के रूप में तब्दील करने के प्रयासों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इस शिवाजी पार्क की दुर्दशा को देख विधायक रामसहाय वर्मा ने आकस्मिक निरीक्षण कर पालिका प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेकर पार्क को पुनः पुराने स्वरूप में बदलने के निर्देश दिये थे।

पालिकाध्यक्ष इसरानी पालिका पार्षदों के साथ शिवाजी पार्क पहुंचकर वहां चल रहे पुर्नत्थान का जायजा लिया। पालिकाध्यक्ष इसरानी ने पार्क में लगाये गये सेल्फी पोइंट, नये संगीत की धुन सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पालिकाध्यक्ष इसरानी ने बताया कि शिवाजी पार्क में ऑपन जिम, खेल उपकरण, सुसज्जित कुर्सियां एवं बच्चों, महिला-पुरूषों के लिए पार्क को आकर्षित करने के साथ-साथ बेहतरीन रखरखाव की भी व्यवस्था की जा रही है।

अधिकारियों को आमजन से मिलने के लिए एक घंटा तय

सांभरझील, (निसं)। शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने, जबावदेही /जनसहभागिता सुनिश्चित किये जाने तथा लोकसेवकों की सरल व त्वरित उपलब्धता हेतु राज्य सरकार संकल्पित व निरन्तर प्रयासरत है, लेकिन सरकार के तमाम निर्देशों को अनदेखी करते हुए आज तक इस बारे में कोई पालन नहीं की गई।

पूर्व में जारी परिपत्रों की निरन्तरता में समरत अधिकारियों पालना सुनिश्चित किए जाने हेतु फिर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समस्त अधिकारी आमजन से मिलने के लिए प्रति कार्य दिवस में न्यूनतम 1 घण्टे का समय निर्धारित करें तथा इस बाबत् एक सूचना पट्ट अपने कार्यस्थल के बाहर नेमप्लेट के नीचे लगवायें। यदि किसी आपातकालीन / अति आवश्यक स्थिति में अधिकारी के लिए निर्धारित समय में मिलने हेतु उपस्थित रहना सम्भव नहीं हो तो उस दिन आमजन के लिए वे अपने द्वितीय अधिकारी को नामित करें और इस बाबत् स्पष्ट सूचना अपने कार्यालय के बाहर प्रदर्शित करें, जिससे आमजन को कोई असुविधा न हो। मुख्य सचिव की ओर से इसके जारी परिपत्र में कहा गया है कि समस्त अधिकारियों को इस बात पर विवेचन करना चाहिए कि किसी आम नागरिक को उपखण्ड स्तर के कार्य के लिए जिला स्तर/राज्य स्तर एवं जिला स्तर के कार्य के लिए राज्य स्तर पर न आना पड़े।

सत्संग में गूंजे श्याम के भजन

आमेर । श्री श्याम भजन संध्या परिवार सेवा समिति द्वारा एक भव्य श्याम सत्संग एवं फाग महोत्सव का आयोजन शनिवार, 15 फरवरी को श्री खंडेलवाल वैश्य महासभा भवन, आरपीए रोड, शास्त्री नगर, जयपुर में किया गया। इस आयोजन के प्रमुख संरक्षक श्री आर. पी. गुप्ता एवं ऋषभ गुप्ता थे, जिन्होंने इस महोत्सव की सफलता के लिए विशेष योगदान दिया। यह समिति पिछले 32 वर्षों से बाबा श्याम की महिमा का प्रचार-प्रसार कर रही है और भक्तों को भजनों के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान कर रही है।

इस शुभ आयोजन के प्रेरणास्त्रोत समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री आर. पी. गुप्ता रहे, जो प्रारंभ से ही इस संस्था से जुड़े हुए हैं। उनके अथक प्रयासों के कारण इस भव्य श्याम सत्संग का आयोजन संभव हो पाया। आयोजन का शुभारंभ सायं 7:00 बजे हुआ, जो देर रात तक चला। इस दौरान श्याम प्रेमियों ने भक्ति में लीन होकर बाबा श्याम के गुणगान किए। बाबा श्याम की अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं के लिए श्री श्याम प्रभु का विशेष श्रृंगार किया गया, जिससे उनकी दिव्य छवि के दर्शन कर भक्त भाव-विभोर हो गए। पूरे आयोजन के दौरान श्याम भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई, जिससे वातावरण और भी पावन बन गया। सत्संग में बाबा श्याम को भोग अर्पित करने के लिए छप्पन भोग की व्यवस्था की गई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन शामिल थे।

इस आयोजन में देशभर से ख्यातिप्राप्त भजन गायक उपस्थित हुए और उन्होंने अपने मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। विशेष रूप से फाग के भजनों ने सभी भक्तों को आध्यात्मिक आनंद से सराबोर कर दिया। फाग महोत्सव के अंतर्गत चंग धमाल का भी आयोजन हुआ, जिसमें भक्तगण झूमते-गाते हुए बाबा श्याम की भक्ति में डूब गए। पूरे आयोजन में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी, जिन्होंने इस आध्यात्मिक माहौल का भरपूर आनंद उठाया। यह आयोजन श्याम भक्तों के लिए एक अनूठा आध्यात्मिक अनुभव लेकर आया। इसमें सम्मिलित होकर श्रद्धालुओं ने संगीत, भजन और भक्ति के रंग में डूबकर बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस तरह के आयोजनों से भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और समाज में धार्मिक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

जिला प्रशासन का नवाचार 'मिशन आकाश'

अलवर। जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों बेठक लेकर मिशन आकाश के तहत एनिमिया एवं कुपोषण मुक्त अलवर अभियान का शुभारम्भ किया। बैठक में कलेक्टर ने जिला परिषद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, महिला अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय समन्वय स्थापित कर अभियान का सफल क्रियान्वयन करावें। उन्होंने सभी बीसीएमओ को निर्देश दिये कि चिकित्सा कर्मियों को स्क्रीनिंग आदि के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करावें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि अभियान के तहत जिले के सभी लक्षित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग एवं हीमोग्लोबिन की जांच कर आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाया जाए। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. योगेन्द्र कुमार शर्मा ने अभियान के बारे में जानकारी दी।

कोटपूतली जिला मुख्यालय पर डीजे कोर्ट खुलवाने की मांग

कोटपूतली। जिला कोटपूतली-बहरोड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय व इसके समकक्ष न्यायालय खुलवाये जाने को लेकर कोटपूतली व बहरोड़ के बीच उपजे विवाद ने तुल पकड़ लिया है। इस मांग को लेकर कोटपूतली व बहरोड़ के अधिवक्ताओं के बीच गतिरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है।

- जिला अभिभाषक संघ का विरोध प्रदर्शन निरन्तर जारी

आपको बता दें कि जिला अभिभाषक संघ कोटपूतली द्वारा बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर कोटपूतली में डीजे कोर्ट खुलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल व विधायक हंसराज पटेल को ज्ञापन सौंपा गया था। साथ ही 15 फरवरी तक सम्पूर्ण पेन डाउन हड़ताल का ऐलान करते हुये न्यायिक कार्यो का बहिष्कार भी किया गया था। इसी क्रम में शनिवार को लगातार चौथे दिन भी पेन डाउन हड़ताल जारी रही। वहीं बड़ी संख्या में अधिवक्तागण जिला अभिभाषक संघ के बैनर तले कस्बे के मुख्य मार्गो से विरोध जुलूस निकालते हुये भारी नारेबाजी कर पैदल मार्च के साथ संघ के अध्यक्ष एड. उदय सिंह तंवर के नेतृत्व में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर से आजाद चौक स्थित कचहरी परिसर पहुँचे। जहाँ पर सभी अधिवक्ताओं समेत स्टाम्प वेंडर, डीडराईटर, ऑथ कमिश्नर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों आदि ने हड़ताल को अपना पूर्ण समर्थन दिया। साथ ही संघ के बैनर तले कचहरी परिसर के रामलीला मंच पर अनिश्चितकालीन धरना व विरोध प्रदर्शन किया गया। संघ के अध्यक्ष एड. उदयसिंह तंवर ने बताया कि धरना प्रदर्शन व कार्य का बहिष्कार शनिवार को भी जारी रहा। वहीं बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने धरने को सम्बोधित किया। दुसरी ओर आन्दोलन की आगामी रूपरेखा तय करने के लिये संघ की बैठक का आयोजन अध्यक्ष एड. उदयसिंह तंवर की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों ने आगामी 18 फरवरी तक न्यायिक कार्यो को पूर्व की भांति पूर्णतया स्थगित करने का निर्णय लिया। साथ ही न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठने का भी निर्णय लिया। इस दौरान अध्यक्ष एड. उदयसिंह तंवर समेत उपाध्यक्ष रंजीत सिंह वर्मा, सचिव हेमन्त शर्मा, कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता जितेन्द्र रावत व रीछपाल सिंह चौधरी, अशोक कुमार सैनी आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे।

सुसाइड प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

राजगढ़ । कस्बे में चार दिन पूर्व घटित ऋषभ विजय सुसाइड प्रकरण को लेकर संगठनों ने शनिवार को प्रदर्शन कर पुलिस को ज्ञापन सौंपा।

शनिवार को चौपड़ बाजार पर सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनो की ओर से परिजनों के साथ न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। परिजनों की ओर से न्याय की मांग पर संगठनो के प्रतिनिधियों ने पीड़ित परिजनों को दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भरोसा जताया चौपड़ बाजार से रैली निकाल कर तहसील परिसर तक महिला पुरुषों ने रोष व्यक्त किया।

भाजपा नेता बन्ना राम मीणा एवं अन्य भाजपा नेताओं ने पुलिस प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर मृतक के परिजन, ममता गुप्ता, मीना खंडेलवाल, नीरज शर्मा, मुकेश जैमन, प्रीति विजय, जगदीश सैनी, मदन मोहन शर्मा, विवेक दीक्षित, राजेश्वरी शर्मा, प्रकाश दीक्षित, प्रदीप शर्मा, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष वंदना शर्मा, संजय शर्मा एवं अन्य महिला पुरुष मौजूद रहे। थाना प्रभारी राजेश मीना ने बताया कि मिले दस्तावेज के आधार पर गहनता से जांच की जा रही है। अनेक बिंदुओं के आधार पर जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कस्बे में चार दिन पूर्व घटित ऋषभ विजय सुसाइड प्रकरण को लेकर संगठनों ने शनिवार को प्रदर्शन कर पुलिस को ज्ञापन सौंपा।

आम सूचना "जय सिंह शेखावत पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी मकान नं. बी-96, विनायक विहार, बजरंग द्वारा, हरनाथपुरा, जयपुर (राज.) ने मेरी अभिभाष्या फर्म बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर की योजना राधा रेजीडेन्सी 1st विस्तार स्थित नेवटा, सांगानेर, जयपुर के भूखण्ड सं. 37 के मूल दस्तावेज गुम हो गये है जिस बाबत गुमशुदगी रपट सं. 175 दिनांक 08.09.2022 को पुलिस थाना वैशाली नगर में दर्ज करवाई है तथा उक्त रिपोर्ट की प्रतिलिपि व बन्ध पत्र, शपथ पत्र समिति कार्यालय में प्रस्तुत किये तथा डुप्लीकेट पट्टा जारी करने बाबत समिति से कहा गया। यदि उक्त भूखण्ड का डुप्लीकेट पट्टा, रसीद व साईड प्लान जारी करने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था, समिति या संगठन को कोई आपत्ति हो तो वो समिति कार्यालय में या मेरे कार्यालय में उक्त सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सम्पर्क करे, अन्यथा समिति द्वारा उक्त भूखण्ड के डुप्लीकेट दस्तावेज जय सिंह शेखावत के नाम जारी कर दिये जायेंगे, बाद मियाद गुजरने के कोई उज्र मान्य नहीं होगा।

(हेमन्त कुमार पलोड़), एडवोकेट
मोबाईल नं. 9314511091

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम गुलशेर रंगरेज से बदलकर गुलशेर अहमद पुत्र बाबूदीन रंगरेज रख लिया है, भविष्य में मुझे गुलशेर अहमद निवासी 1356, राधा किशन का कुण्ड, चाणक्या मार्ग, सुभाष चौक, चौकडी रामचन्द्रजी, जयपुर के नाम जाना जाये।

मैंने अपना नाम सरोज कुमारी पत्नि राजकुमार शर्मा से बदलकर सरोज शर्मा निवासी टी-2, 1201 रंगोली ग्रीन पांच्यावाला, जयपुर, राजस्थान रख लिया है भविष्य में मुझे सरोज शर्मा के नाम से जाना पहचाना जाए।

I Minhaz Khan D/o. Munawar khan has changed my Name from Minhaz Khan to Minaz Khan for all future purposes.

I, RATHORE MOHAN SINGH Father of NUMBER 4581185L RANK L/HAV NAME RATHORE BHAVANISINGH presently residing at 131, HANUMAN VATIKA-A, GOKULPURA, JHOTWARA, JAIPUR RAJ-302012, have changed my Name from RATHORE MOHAN SINGH (Old Name) to MOHAN SINGH RATHORE (New Name) vide Affidavit dated 04.02.2025 before Notary, Govt of India, RAJ.

I, RATHORE ENDAR KANWAR M mother of NUMBER 4581185L RANK L/HAV NAME RATHORE BHAVANISINGH presently residing at 131, HANUMAN VATIKA-A, GOKULPURA, JHOTWARA, JAIPUR, RAJ- 302012 have changed my Name from RATHORE ENDAR KANWAR M (Old Name) to ENDAR KANWAR (New Name) vide Affidavit dated 04.02.2025 before Notary, Govt of India, RAJ.

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
आदेश 5 के नियम 1 और 5
न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभरलेक जिला जयपुर
उपखंड अधिकारी कि. रेनवाल
घीसूसिंह बनाम विक्रम सिंह व अन्य
वाद पत्र सं. 8/22
वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

बनाम :- 1. विक्रम सिंह पुत्र गोविंद सिंह 2. पुष्पा कंवर पत्नि गोविन्द सिंह 3. संजू कंवर पुत्री गोविन्द सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी पीपरोली बाया सरबाड़ जिला अजमेर राज. 4. मोहन सिंह पुत्र गिरधारी सिंह जाति राजपूत निवासी मंडूकरा जिला नागौर राज. 5. तहसीलदार तहसील कि. रेनवाल जिला जयपुर 6. सब रजिस्ट्रार तहसील कि. रेनवाल।

उपरोक्त आपके विरुद्ध उपरोक्त के वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 21.2.25 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए बचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे और दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या सुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ठि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई ओर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता. 29.1.25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत
आज्ञा से
रीडर न्यायालय उपखंड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर ग्रामीण

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय... उपखण्ड अधिकारी... स्थान... कि. रेनवाल... भोमाराम... विरुद्ध... ओमप्रकाश वगै.
वाद बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद संख्या 67/2024

नाम ओमप्रकाश पुत्र जगदीशप्रसाद, गोविन्द प्रसाद पुत्र विनोद कुमार, राजेश कुमार पुत्र प्रभू दयाल, विष्णु पुत्र कृष्णदत्त, सुगनीदेवी पत्नि कृष्णदत्त, संजय पुत्र कृष्णदत्त, सरिता पुत्री कृष्णदत्त समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भैसलाना तहसील कि0 रेनवाल, श्रीलेखा शर्मा पत्नि संजय शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 101, महिमा निर्वाणा, महापुरा जयपुर, तहसीलदार कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0, विरूद्ध वाद तकास्मा के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 17/2/25 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए बचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वंय या किसी ऐसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो ओर जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपकों यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें ओर उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। ओर यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई ओर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता. 3/1/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत
आज्ञा से
रीडर न्यायाधीश अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर ग्रामीण

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रम-9, जयपुर महानगर, द्वितीय श्रीमति शारदा भार्गव व अन्य बनाम गोपाल नारायण व अन्य दावा बाबत् सम्पत्ति विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 633/2012

बनाम

2/1. समीर भार्गव, 2/2. पिंकी भार्गव वल्द स्व. श्री कैलाश नारायण भार्गव कौम भार्गव सकिन 305, श्याम हैवन्स पैराडाईज, बी-206, राजेन्द्र मार्ग, बापू नगर, जयपुर।

चूंकि वादी ने इस अदालत में तारीख माह सन् को 1. श्रीमति शारदा भार्गव व अन्य बनाम 2. गोपाल नारायण व अन्य दायर की जो कि बाद मे फोत हो गया और चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 (मृतक) मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा मे यह जाहिर करने की आप मुतवफकी 2/1 व 2/2 मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 2/1. व 2/2 बनाये जायें।

लिहाजा बजरिये हाजा वगर्ज जवाब देही प्रार्थना पत्र कायम मुकाम आप को तारीख 19 माह 02 सन् 2025 को अदालत हाजा मे हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजरी मे सुना व फैसला किया जावेगा।

बसन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14 माह 02 सन् 2025 को जारी किया गया।

मोहर अदालत
वरिष्ठ रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-9, जयपुर महानगर, द्वितीय

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 23/24
विषय : उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी- नाम रामजीलाल बैरवा पुत्र स्व. प्रहलाद बैरवा जाति बैरवा
विवाद स्थान पीरोतान की ढाणी कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला, जयपुर
मृतक प्रहलाद बैरवा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक 25.2.25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम प्रहलाद बैरवा पुत्र मंगला राम बैरवा जाति बैरवा निवासी महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे। अत: उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक माह 25.2.25 सन् 20..... को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। आज दिनांक 15 माह 2 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्राकन से जारी किया गया।

मोहर अदालत
रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 4 मुख्यालय सांगानेर, जयपुर

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

विज्ञप्ति संख्या-01/2025
सार्वजनिक सूचना मृतक के आश्रित की अनुकम्पात्मक नियुक्ति

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में पूर्व में कार्यरत श्री सगन सिंह, लिपिक ग्रेड-1 व श्री रामस्वरुप सैन, सहायक कर्मचारी तथा श्री विजय, सफाई/सहायक कर्मचारी की विश्वविद्यालय सेवा में रहते हुये मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों के द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु आवेदन किये है :-

क्र. सं.	मृतक कर्मचारी का नाम	मृतक के आश्रित का नाम व सम्बन्ध	मृतक कार्मिक की मृत्यु दिनांक	आश्रित को प्रस्तावित पद	निवास
1.	स्व. श्री सगन सिंह	श्रीमती कविता कंवर (पत्नी)	08.08.2024	सहायक कर्मचारी	बामनहेडा, देवल, फतहपुरा, जिला-अजमेर
2.	स्व. श्री रामस्वरुप सैन	श्री सुरेन्द्र सैन (पुत्र)	13.09.2024	लिपिक ग्रेड-2	ई-1/6, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर
3.	स्व. श्री विजय	श्री विशाल लोट (पुत्र)	10.12.2024	लिपिक ग्रेड-2	म.नं.-8, सीताराम कॉलोनी, सांगानेर, गौशाला, जयपुर

नोट: इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में यदि उक्त आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति में किसी को कोई आपत्ति हो तो कुलसचिव कार्यालय कमरा नं. 203, सरदार पटेल भवन, राजस्थान विश्वविद्यालय, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर को सूचित करें। आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(राजकुमार कस्वा)
कुलसचिव

!! कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, करौली (राज.) !!

क्रमांक:-व-15 () सामा.-करौली/घोड/2025/1289-99 दिनांक: 14.02.2025

खुली निविदा

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, करौली में वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय 06 घोडों के उपयोगार्थ निम्न खाद्य सामग्री क्रय करने हेतु खुली निविदा जारी की जाती है। जिसमें इच्छुक निविदा दाता अपनी निविदाऐं निर्धारित शुल्क से दिनांक 10.03.2025 तक इस कार्यालय से प्राप्त कर सकेगे। निविदाऐं दिनांक 10.03.2025 को 01.00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिनांक को 02.00 बजे समस्त निविदा दाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

क्र.सं.	निविदा विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा शुल्क
1	चना 30 क्वि., जौ. 50 क्वि., चापड/चौकर 20 क्वि. नमक सादा 55 कि.ग्रा., नमक सैंदा 55 कि.ग्रा.	4.50.000/-	9000/-	200/-

निविदा की शर्तें:-
1. प्रस्तुत दरों में कांट-छांट ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी।
2. सशर्त एवं तार द्वारा प्राप्त निविदायें मान्य नहीं होगी।
3. दर सभी करों एवं समस्त खर्चों सहित एवं एफ.ओ.आर. प्रस्तुत करें।
4. निविदादाता फर्म का कोई अपराधिक रिकार्ड व ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए।
5. आदेश दिये जाने के 15 दिवस में सप्ला